संख्या-87/2017/आर-1528/26-3-2017-10(01)/2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2017

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-सन्तकबीरनगर, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के प्रस्तावों की दी गयी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-54/2017/आर-816/26-3-2017-10(01)/2017,दिनांक-31.03.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-सन्तकबीरनगर, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो हेतु कुल रूपया-1191.76 लाख धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात रूपया-595.88 लाख (रूपया पांच करोड़ पन्चानबे लाख अटठासी हजार मात्र) धनराशि की निम्नवत् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय हेतु धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी थीः-

(1)-जनपद-सन्तकबीरनगर (रू0 लाख में)

क्र सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सेमरियावां	बूधाकला	सी0सी0रोड़, इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	99.38	49.69
2	''	उमिला	तदैव	99.79	49.895
3	''	डारीडीहा	तदैव	99.40	49.7
4	''	लहुरादेवा	तदैव	99.53	49.765
5	''	डड़वा	तदैव	99.64	49.82
			योग	497.74	248.87

(2)-जनपद-बस्ती (रू0 लाख में)

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रूधौली	तिघरा	सी0सी0रोड़, इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	99.19	49.595
2	''	भिटियाकला	''	99.05	49.525
3	''	मझौवाकला द्वितीय	''	99.56	49.78
			योग	297.80	148.9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)-जनपद-सिद्धार्थनगर (रू0 लाख में)

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	भनवापुर	गड़ावर	सी0सी0रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य	99.52	49.76
2	''	पिपरा पाण्डेय	''	98.84	49.42
3	''	डेगहाजोत	''	98.50	49.25
4	''	चिताही	''	99.36	49.68
			योग	396.22	158.11

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-249/स.क./विकास/एकीकृत/2017-18, दिनांक-12.05.2017 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या में यह संज्ञानित किया गया कि दिनांक-31.03.2017 को निदेशालय, समाज कल्याण में सर्वर डाउन होने के कारण प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक-31.03.2017 द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रूपया-595.88 लाख (रूपया पांच करोड़ पन्चानबे लाख अट्ठासी हजार मात्र) का आवंटन नही हो सका एवं वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। अतएव वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के उपरान्त शासनादेश दिनांक-31.03.2017 द्वारा प्रदान की गयी उक्त वित्तीय स्वीकृत की अब कोई प्रासंगिकता नही रह गयी है।

3- अतएव निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त पत्र दिनांक-12.05.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-54/2017/आर-815/26-3-2017-10(01)/2017,दिनांक-31.03.2017 द्वारा जनपद-सन्तकबीरनगर, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो हेतु प्रदान की गयी उक्त स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त/समाप्त किया जाता है।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-87/2017/आर-1528(1)/26-3-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर।
3.कोषाधिकारी, सन्तकबीरनगर, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर।
4.वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5.प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड निर्माण इकाई, गोरखपुर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी, सन्तकबीरनगर, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9.गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in